उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्या 30 / XXVII(7)पें0 / 2007
देहरादून, दिनांक 24 अप्रैल,2007

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को महगाइ राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या–215 / XXVII(7)पें / 2006, दिनांक 04 अक्टूबर, 2006 द्वारा महगाई राहत की किश्त 01 जुलाई 2006 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में श्री राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मे हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 अक्टूबर, 2006 मे उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जनवरी, 2007 से महंगाई राहत की एक और किश्त 06प्रतिशत (छः प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांक 01 जनवरी 2007 से राहत की दर 29 प्रतिशत से बढ़कर 35प्रतिशत हो गई है।

2– महगाइ राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252 / दस / 10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttarakhand
Finance (P.C.-G.R.) Section -7
N0- 30 /XXVII(7)P/2007
Dehradun : Dated : 24 April,2007

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No.215/XXVII(7)P/2006 dated 04 october 2006 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from july 01, 2006 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of 6% (Six Percent) with effect from January, 01 2007 in supersession of the rates mentioned in the O.M. dated 04 October 2006 refered to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-01-2007 has been risen from 29% to 35 %

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking corporation etc. in respect of such categories separate orders will be issued by the respective departments.

4- These order will also be applicable to the teaching and non-teaching pensioners of educational/Technical Institutions aided by State Government whose Pension/Family pension is at par with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6– महगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या 30 /XXVII(7)पें/2007, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

3– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।

4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।

5– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8– निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव

6- Other terms and conditions regarding dearness relief laid down in earlier Government orders shall be applicable as such.

Radha Raturi
Secretary

No. 30 /XXVII(7)P/2007, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries.

2- All Head of Department/Offices, Uttarakhand.

3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Divelsion.

4- Director, Treasury and Finance services, Uttarakhanda.

5- Accountant General Uttarakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.

6- All Treasury Officers, Uttarakhand.

7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.

8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(T.N. Singh)
Addl. Secretary